तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुये

10/12/24

पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित।

विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हो चुके है, जिस पर बहस सुनी गई एवं पत्रावली व प्राप्त प्रस्तावों का अवलोकन किया गया। प्रस्ताव राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खातेदारान के हिस्सानुसार प्राप्त हुए है।

दौरान बहस प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता हेमन्त बोहरा ने विभाजन प्रस्ताव पर लिखित आपत्ति पेश कर कहा कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व नोटिस नहीं दिया गया और न ही उन्है बुलाया गया। विभाजन प्रस्ताव में कुऑ/बेरे को सामलाती खातेदारी में नही रखा गया है अतः विभाजन प्रस्ताव पुनः मंगवाया जाए। वही वादी अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी ने बहस में विभाजन प्रस्ताव तैयार करते समय राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 18 से 21 की पालना तहसीलदार बाली द्वारा विधिवत रूप से की गई है तथा विभाजन प्रस्ताव में कुऑ को सभी वादी तथा प्रतिवादी के सामलाती खातेदारी में रखा गया है। अतः प्रतिवादी अधिवक्ता की विभाजन प्रस्ताव पर पेश आपत्ति को खारिज किया जाकर फाईनल डिकी जारी की जाए।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज, साक्ष्य एवं तहसीलदार बाली से प्राप्त विभाजन का अवलोकन विधिक प्रावधानों के परिपेक्ष्य में किया गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव की मौका रिपोर्ट में स्पष्ट अंकन है कि विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व वादी व प्रतिवादीगण को नोटिस तहसील कार्यालय के पत्रांक क्रमांक 3026 से 3029 दिंनाक 22.11.2024 को जारी किये गये थे तथा वादग्रस्त खसरा नं. 34 मौजा काकराडी में स्थित कुआं को वादी व प्रतिवादीगण के मध्य संयुक्त रूप से सामलाती खातेदारी में रखा गया है जिसका रकबा 0.02 हैक्टर है। अतः विभाजन प्रस्ताव पर प्रतिवादी सं. 2 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत आपत्तियॉं सारहीन होने के कारण खारिज की जाती है।

लिहाजा वादी का वाद स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 34 रकबा 3.77 हैक्टेयर भूमि निंम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक–पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	सी.वी. सिंह पुत्र मदनसिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत	34	2.3525	दी. पी.	25.8775	नीला
	योग	01	2.3525	दी. पी.	25.8775	
2	1 अचला पुत्र हीरा हि. 250/559 जाति राईका 2 जोराराम पुत्र भबुताराम हि. 59/559 जाति राईका 3 श्रीमति जतना देवी पत्नि लाकाराम हि. 250/559 जाति देवासी	34/1	1.3975	दी. पी.	15.3725	नारंगी
	योग	01	1.3975	दी. पी.	15.3725	
3	1 अचला पुत्र हीरा हि. 1571/9425 जाति राईका 2 जोराराम पुत्र भबुताराम हि. 1483/37700 जाति राईका 3 श्रीमति जतना देवी पत्नि लाकाराम हि. 6283/37700 जाति देवासी 4 सी.वी. सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 473/754 जाति राजपूत	34/2	0.02	दी. पी.	0.22	गुलाबी
	योग	01	0.02	दी. पी.	0.22	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला - पाली

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
सहायक अधिकारी, पाली

Scanned with CamScanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 10-12-24 को सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी, बाली, जिला - पाली (राज.)

डिगरी बमुकदमें इब्तादाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

सी0वी0 सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी प्लोट नंबर 111, जेड एस0 ए0 बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अचला पुत्र हीराजी
2. जोराराम पुत्र भबूताजी
3. श्रीमती जतना देवी पत्नी लाकारामजी जातिगण देवासी (राईका) निवासीगण मोरीगांव तहसील बाली
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/198
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि वादी का वाद विभाजन प्रस्तावानुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम काकराडी पटवार हल्का काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 34 रकबा 3.77 हैक्टेयर भूमि निम्नानुसार पक्षकारान के नाम के आगे अंकित अनुसार पृथक खातेदारी में घोषित की जाती है :–

क्र. सं.	खातेदार का नाम व पता	खसरा नंबर	रकबा (हैक्टेयर)	किस्म	लगान	रंग
1	सी.वी. सिंह पुत्र मदनसिंह हि. पूर्ण जाति राजपूत	34	2.3525	दी. पी.	25.8775	नीला
	योग	01	2.3525	दी. पी.	25.8775	
2	1 अचला पुत्र हीरा हि. 250/559 जाति राईका 2 जोराराम पुत्र भबुताराम हि. 59/559 जाति राईका 3 श्रीमति जतना देवी पत्नि लाकाराम हि. 250/559 जाति देवासी	34/1	1.3975	दी. पी.	15.3725	नारंगी
	योग	01	1.3975	दी. पी.	15.3725	
3	1 अचला पुत्र हीरा हि. 1571/9425 जाति राईका 2 जोराराम पुत्र भबुताराम हि. 1483/37700 जाति राईका 3 श्रीमति जतना देवी पत्नि लाकाराम हि. 6283/37700 जाति देवासी 4 सी.वी. सिंह पुत्र मदनसिंह हि. 472/754 जाति राजपूत	34/2	0.02	दी. पी.	0.22	गुलाबी
	योग	01	0.02	दी. पी.	0.22	

तहसीलदार बाली को इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामद एवं लट्ठा नक्शा में दुरस्ती सुनिश्चित करने के आदेश दिये जाते है। विभाजन प्रस्ताव के संलग्न प्राप्त नक्शा निर्णय का अभिन्न अंग रहेगा। वादग्रस्त भूमि पर बैंक रहन इस निर्णय से अप्रभावित रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख   को जारी की गई।

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी बाली

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

प्राथमिक डिक्री बमुकदमें इब्तदाई
(ओ. 20 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन् उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली (राजस्थान)
बइजलास श्री दिनेश विश्नोई, आर.ए.एस.

वादी :–

सी0वी0 सिंह पुत्र मदनसिंह जाति राजपूत निवासी प्लोट नंबर 111, जेड एस0 ए0 बीजेएस कॉलोनी, जोधपुर

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1. अचला पुत्र हीराजी
2. जोराराम पुत्र भबूताजी
3. श्रीमती जतना देवी पत्नी लाकारामजी जातिगण देवासी (राईका) निवासीगण मोरीगांव तहसील बाली
4. राजस्थान सरकार जरिये (भूमिधारी) तहसीलदार बाली जिला पाली (राज.)

राजस्व वाद प्रकरण संख्या Gcms No. 2024/198
वाद अंतर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे समक्ष हाजरी वकील वादी व वकील प्रतिवादी मिनजानिव मुदई व .... मिनजानिव मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व प्राथमिक डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद प्रारंभिक रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम काकराडी तहसील बाली के खसरा नंबर 34 रकबा 3.7700 हैक्टर की भूमि में वादी का 473/754 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1571/9425 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 02 का 1483/37700 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 03 का 6283/37700 हिस्सा की भूमि माफिक कब्जाकाश्त बाई मिट्स एण्ड बाऊण्डस पृथक कर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर भिजवाने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/–रूपये पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क वादी मौके पर अदा करेगा।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 13-11-2024 को जारी किया गया।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

(दिनेश विश्नोई)
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned with CamScanner